उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-102 /2020/846/41-2020-72(बजट)/2019

लखनऊ दिनांक 06 मार्च, 2020

संख्या-58/2020/139/41-2020-72(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2020

का शुद्धि पत्र

महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक- 6398/6-1-1/(41)/मु0मं0घो0/2019-20 दिनांक-25-2-2020 द्वारा जनपद बलिया के विकास खण्ड बेलहरी के ग्रामसभा समरथपाह में रामजानकी मंदिर प्रांगण में पेवर्स ब्लाक कार्य एवं सोलर स्ट्रीट तथा स्थल के पर्यटन विकास कार्य हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-58/2020/139/41-2020-72(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2020 में संशोधन कर उसके पृष्ठांकन के क्रम सं0-4 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ के स्थान पर कोषाधिकारी, सहारनुपर अंकित किये जाने एवं क्रमांक-9 पर क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी गोरखपुर के स्थान पर क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी गोरखपुर/आहरण वितरण अधिकारी गोरखपुर अंकित करने का अनुरोध किया गया है।

2. अत: महानिदेशक, पर्यटन की संस्तुति के क्रम में एतद्द्वारा शासनादेश संख्या-58/2020/139/41-2020-72(बजट) /2019 दिनांक 18 फरवरी, 2020 के पृष्ठांकन के क्रम सं0-4 पर अंकित मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर कोषाधिकारी, गोरखपुर एवं क्रमांक-9 पर क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी गोरखपुर के स्थान पर क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी गोरखपुर/आहरण वितरण अधिकारी गोरखपुर अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 18 फरवरी 2020 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-102/2020/846/41-2020-72(बजट)/2019,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, बलिया।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- कोषाधिकारी गोरखपुर ।
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- निदेशक,गामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर/ आहरण वितरण अधिकारी गोरखपुर ।
11- सहायक अभियन्ता,गामीण अभियन्त्रण विभाग, बलिया।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in